छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-22

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014

(फाल्गुन-5, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राजू सिंह क्षत्री अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित **11** तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2013-2014 के बजट की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 2012 से 31 2013 तक की अवधि के लिए),

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, तथा

(4) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्गआयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्गआयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, तथा

(5) श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री दीपक बैज, सदस्य ने बस्तर जिले के लोहड़ीगुड़ा में महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही बरती जाने से एक महिला की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य ने जिला कोरिया अंतर्गत संचालित शासकीय लाहड़ी महाविद्यालय चिरमिरी में प्राध्यापकों व मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अरूण वोरा

(2) श्री अमरजीत भगत

(3) श्रीमती अनिला भेंडिया

(4) श्री सियाराम कौशिक

(5) श्री लखेश्वर बघेल

(6) श्री देवजी भाई पटेल

(7) श्री दलेश्वर साहू

(8) श्री मोहन मरकाम

(9) श्री मोतीलाल देवांगन

5.याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामलाल चौहान

(2) श्री लाभचन्द बाफना

(3) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया

(5) डॉ.सनम जांगड़

(6) डॉ.खिलावन साहू

6.वक्तव्य

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने दिनांक 14 फरवरी, 2014 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्रमांक-585) के उत्तर में चर्चा के दौरान दी गई जानकारी में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने संशोधन से संगत प्रश्न पूछे।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) पुरःस्थापित किया ।

(2) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) तथा भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उनके द्वारा क्रमशः 15 मिनट एवं 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

8. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमशः)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास के विभागों की अनुदान मांगों पर एवं कटौतियों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा मे भाग लिया।

श्री देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री खेलसाय सिंह, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, राजेन्द्र कुमार राय, (डॉ.) सनम जांगडे, मोहन मरकाम, (डॉ.) खिलावन साहू, गोवर्धन सिंह मांझी,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.विमल चोपड़ा, श्री सत्यनारायण शर्मा।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014)पुर:स्थापित किया ।

अपराह्न 4.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 25 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा